अपील सूचना अधिकार संख्या 26/2023(GCMS 2022/105)(आरटीआई नं. 212498728681597) श्री हरीराम जोशी पुत्र श्री बजरंग लाल निवासी मकान नं. 02 बसंत विहार, नजदीक गुड शैफर्ड स्कूल व पानी की टंकी, वार्ड नं. 44, श्री गंगानगर–335001 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़, जिलाश्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.08.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हरीराम जोशी स्वयं उपस्थित हुआ और निवेदन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.02.2023 से पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी हरीराम जोशी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.02.2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ से निम्न पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

> न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ में दर्ज प्रकरण संख्य 176/2022 आरटीए की धारा 177 अन्तर्गत स्टेट, तहसीलदार बनाम भागीरथ, बशीर, गजेन्द्र और रामचन्द्र आदि के निर्णय आदेश दिनांक 07.11.2022 के आदेश पत्र की पृष्ठ संख्या 2 की पैरा सं[illegible] की पंक्ति क्रमांक 4 ''अप्रार्थीगण द्वारा अप[illegible], राजस्व नक्शा, नजरिया नक्शा, भूमि को मौका रंगी[illegible] चित्र अंकित करव[illegible]ये तथा प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित करवाये गये'' के आधार पर न्यायिक पत्रावली से निम्न सूचनाएँ चाहिए :

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:03:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

01. प्रस्तुत समस्त राजस्व जमाबन्दियाँ की प्रतिलिपि।
02. प्रस्तुत समस्त राजस्व नक्शा की प्रतिलिपि।
03. प्रस्तुत समस्त नजरिया नक्शा की प्रतिलिपि।
04. प्रस्तुत समस्त भूमि मौका रंगीन चित्र की रंगीन प्रतिलिपि।
05. प्रस्तुत समस्त बाजरी और ग्वार बिजान्त का प्रमाणक की प्रतिलिपि।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपने पत्रांक अभिलेखागार/2023/275 दिनांक 13.06.2023 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन हे कि अपीलार्थी श्री हरीराम जोशी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत अअील पत्र व आवेदन पत्र दिनांक 26.02.2022 की टिप्पणी बिन्दुवार निम्न प्रकार से है :

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ के प्रकरण संख्या 176/2022 अनवान् तहसीलदार बनाम भागीरथ व अन्य अन्तर्गत धारा 177 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2022 के फर्द अहकाम की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। न्यायालय की विचाराधीन पत्रावलियों में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज निर्धारित प्रपत्र फार्म नं. 3 में प्रस्तुत किये जाते है। जिसका फर्द अहकाम में लिखित में अंकन किया जाता है। उक्त मिसल की संलग्न समस्त फर्द अहकाम में लिखित में अंकन किया जाता है। उक्त मिसल की संलग्न समस्त फर्द अहकाम के अवलोकन अनुसार फर्द अहकाम में अंकित दस्तावेजात पत्रावली में शामिल है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित विषय दिनांक 07.11.2022 के पृष्ठ संख्या 2 की परा संख्या 4 की पंक्ति क्रमांक में सहवन से अंकित होना प्रतीत होता है। पत्रावली में दस्तावेजात

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:03:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जमाबंदी, बाजरी एवं ग्वार बिजान्त (गिरदावरी) के प्रमाणक की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है जो कि प्रमाणित प्रतिलिपियां है, जिनकी नकल नियमानुसार देय नही है। प्रार्थी अपने सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रार्थना पत्र दिनांक 26.02.2023 में अंकित समस्त दस्तावेजात यथा जमाबंदी, गिरदावरी, राजस्व नक्शा, नजरी नक्शा संबंधित कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकता है।

अतः जवाब प्रेषित कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रथम अपील प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाने की मेहरबानी फरमावें।

संलग्न : उपुर्यक्तानुसार।

भवदीय
-sd-
(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक 275 दिनांक 13.06.2023 से अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है और और प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे राकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उस रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना किसी लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:03:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी यदि अपनी वांछित सूचनाओं हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करें तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियमानुसार देय सूचनाएं उसे 15 दिवस में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep(Rathi)
Date: 2023.08.22 17:03:46 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर